राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

क्रमांकः प4(IV) / कृ.यंत्र / राखासुमि / 2017–18 / 2118–2271   दिनांकः 03/7/2017

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद .... ।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर्स / सीड स्टोरेज बिन्स के अनुदान पर वितरण के दिशा–निर्देश तथा जिलेवार भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों के आवंटन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से अनुमोदित कार्य योजना एवं प्रावधान के अनुसार समस्त जिलों में कृषकों को अनुदान पर उच्च गुणवत्ता के मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर कम प्लास्टिक शीट (भारत सरकार से अनुमोदित **IS: 14611-2016, एवं IS: 7903, 2011** मार्का) के तैयार त्रिपाल साईज 8X6 वर्गमीटर के तथा सीड स्टोरेज बिन्स उपलब्ध कराने हेतु जिलेवार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कृषि आयुक्तालय से वर्ष 2017–18 के लिए जारी सामान्य दिशानिर्देश पत्रांक प4(IV) / यंत्र / 2017–18 / 499–729 दिनांक 04.05.2017 के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. न्यूनतम 3 क्विंटल क्षमता की सीड स्टोरेज बिन्स पर ही अनुदान देय होगा।
2. सीड स्टोरेज बिन्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 22 या 24 गेज की न्यूनतम 18 किलोग्राम वजन वाली सीड स्टोरेज बिन्स को ही अनुदान हेतु पंजीकृत किया जावे।
3. भारत सरकार के अनुमोदित आई.एस.आई. मार्का के अनुसार मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स के स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार हैः–

आई.एस.आई. नम्बर	स्पेसिफिकेशन
14611 : 2016	Multilayered, Cross laminated, U.V. Stabilized Tarpaulins Heavy Duty minimum 200 GSM. Size- 8X6 Meter
7903 : 2011	Tarpaulins made from HDPE Woven Fabric, both sides laminated heavy duty minimum 250 GSM. Size-8X6 Meter

4. उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालयों द्वारा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट / सीड स्टोरेज बिन्स के निर्माताओं / अधिकृत विक्रेताओं का पंजीयन किया जायेगा।
5. कृषक स्वयं की रूचि अनुसार किसी भी पंजीकृत फर्म की मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट / सीड स्टोरेज बिन्स को मोल–भाव कर पूरी कीमत चुका कर क्रय कर सकेंगे। कृषक द्वारा फर्म से बिल प्राप्त कर अनुदान हेतु नियमानुसार आवश्यक आवेदन / दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सहित संबंधित जिला कार्यालयों में ऑफ लाईन प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान सीधे ही पात्र कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जायेगा।
6. जिला कार्यालय स्तर पर आवश्यक समझे जाने पर आपूर्ति की गई मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स / सीड स्टोरेज बिन्स के रेण्डम सेम्पल लिये जाकर टेस्टिंग करवाई जा सकेगी। किसी भी पंजीकृत निर्माता फर्म द्वारा विभागीय मापदण्डों का उल्लंघन किये जाने पर अथवा कृषकों को निम्न गुणवत्ता के मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स / सीड स्टोरेज बिन्स की आपूर्ति किये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

7. कृषकों को पहले **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर ही मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स / सीड स्टोरेज बिन्स पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा।

फसल कटाई उपरान्त फसल को सुरक्षित रखने के लिए मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स / सीड स्टोरेज बिन्स के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित लक्ष्यों को अतिशीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त,कृषि

कमांकः प4(IV) / कृ.यंत्र / राखासुमि / 2017–18 / 2118 – 2271 दिनांकः 03/7/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि शष्य (ज0उ0प्र0) मुख्यालय, जयपुर को उनके यू. ओ. नोट कमांक 651–57 दिनांक 02.05.2017 के क्रम में।
3. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
4. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार / तिलहन)..।
5. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार / ईगानप, बीकानेर), जिला परिषद् ....।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...।
8. सहा0 जनसम्पर्क अधिकारी / प्रभारी, किसान कॉल सेन्टर, मुख्यालय, जयपुर।
9. आरक्षी पत्रावली।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक, कृषि (अभि0)

Component & District-Wise Physical and Financial Targets under NFSM - Pulses (under local intiaitive Programme) for the year 2017-18

Rs.(Lac)

S.N.	Name of District	Seed Storage Bins								Movable Threshing Floors								Grand Total	
		Target						Total Target		Target						Total Target		Target	
		Phy.			Fin.					Phy.			Fin.						
		GEN	SC	ST	GEN	SC	ST	Phy.	Fin.	GEN	SC	ST	GEN	SC	ST	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Ajmer	2244	594	462	22.44	5.94	4.62	3300	33.00	1122	297	231	16.830	4.46	3.465	1650	24.750	4950	57.75
2	Alwar	550	118	92	5.50	1.18	0.92	760	7.60	275	59	46	4.125	0.89	0.690	380	5.700	1140	13.30
3	Banswara	550	118	150	5.50	1.18	1.50	818	8.18	275	59	75	4.125	0.89	1.125	409	6.135	1227	14.32
4	Baran	550	168	150	5.50	1.68	1.50	868	8.63	275	84	75	4.125	1.26	1.125	434	6.510	1302	15.19
5	Barmer	3143	831	646	31.43	8.31	6.46	4620	46.20	1571	415	323	23.565	6.23	4.845	2309	34.635	6929	80.84
6	Bharatpur	550	168	92	5.50	1.68	0.92	810	8.10	275	84	46	4.125	1.26	0.690	405	6.075	1215	14.18
7	Bhilwara	1347	356	277	13.47	3.56	2.77	1980	19.80	673	178	139	10.095	2.67	2.085	990	14.850	2970	34.65
8	Bikaner	1796	475	369	17.96	4.75	3.69	2640	26.40	898	238	184	13.470	3.57	2.760	1320	19.800	3960	46.20
9	Bundi	898	237	185	8.98	2.37	1.85	1320	13.20	449	119	93	6.735	1.79	1.395	661	9.915	1981	23.12
10	CAD Kota	898	237	185	8.98	2.37	1.85	1320	13.20	449	119	93	6.735	1.79	1.395	661	9.915	1981	23.12
11	Chittorgarh	450	118	92	4.50	1.18	0.92	660	6.60	225	59	46	3.375	0.89	0.690	330	4.950	990	11.55
12	Churu	2694	712	554	26.94	7.12	5.54	3960	39.60	1347	356	277	20.205	5.34	4.155	1980	29.700	5940	69.30
13	Dausa	550	118	92	5.50	1.18	0.92	760	7.60	275	59	46	4.125	0.89	0.690	380	5.700	1140	13.30
14	Dholpur	550	168	92	5.50	1.68	0.92	810	8.10	275	84	46	4.125	1.26	0.690	405	6.075	1215	14.18
15	Dungarpur	550	118	92	5.50	1.18	0.92	760	7.60	275	59	46	4.125	0.89	0.690	380	5.700	1140	13.30
16	Ganganagar	1347	356	277	13.47	3.56	2.77	1980	19.80	673	178	139	10.095	2.67	2.085	990	14.850	2970	34.65
17	H. Garh	2244	594	462	22.44	5.94	4.62	3300	33.00	1122	297	231	16.830	4.46	3.465	1650	24.750	4950	57.75
18	IGNP Bikaner	1796	475	369	17.96	4.75	3.69	2640	26.40	898	238	184	13.470	3.57	2.760	1320	19.800	3960	46.20
19	Jaipur	2694	712	554	26.94	7.12	5.54	3960	39.60	1347	356	277	20.205	5.34	4.155	1980	29.700	5940	69.30
20	Jaisalmer	1796	475	369	17.96	4.75	3.69	2640	26.40	898	238	184	13.470	3.57	2.760	1980	29.700	5940	69.30
21	Jalore	1796	475	369	17.96	4.75	3.69	2640	26.40	898	238	184	13.470	3.57	2.760	1320	19.800	3960	46.20
22	Jhalawar	898	237	185	8.98	2.37	1.85	1320	13.20	898	238	184	13.470	3.57	2.760	1320	19.800	3960	46.20
23	Jhunjhunu	1796	475	369	17.96	4.75	3.69	2640	26.40	449	119	92	6.735	1.79	1.380	660	9.900	1980	23.10
24	Jodhpur	2244	594	462	22.44	5.94	4.62	3300	33.00	898	238	184	13.470	3.57	2.760	1320	19.800	3960	46.20
25	Karauli	550	168	150	5.50	1.68	1.50	868	8.63	1122	297	231	16.830	4.46	3.465	1650	24.750	4950	57.75
26	Kota	1347	356	277	13.47	3.56	2.77	1980	19.80	275	84	75	4.125	1.26	1.125	434	6.510	1302	15.19
27	Nagaur	2694	712	554	26.94	7.12	5.54	3960	39.60	673	178	139	10.095	2.67	2.085	990	14.850	2970	34.65
28	Pali	550	168	92	5.50	1.68	0.92	810	8.10	1347	356	277	20.205	5.34	4.155	1980	29.700	5940	69.30
29	Pratapgarh	550	118	92	5.50	1.18	0.92	760	7.60	275	84	46	4.125	1.26	0.690	405	6.075	1215	14.18
30	Rajsamand	550	168	92	5.50	1.68	0.92	810	8.10	275	59	46	4.125	0.89	0.690	380	5.700	1140	13.30
31	S.Madhopur	550	118	150	5.50	1.18	1.50	818	8.18	275	84	46	4.125	1.26	0.690	405	6.075	1215	14.18
32	Sikar	1347	356	277	13.47	3.56	2.77	1980	19.80	275	59	75	4.125	0.89	1.125	409	6.135	1227	14.32
33	Sirohi	550	168	92	5.50	1.68	0.92	810	8.10	673	178	139	10.095	2.67	2.085	990	14.850	2970	34.65
34	Tonk	1796	475	369	17.96	4.75	3.69	2640	26.40	275	80	46	4.125	1.20	0.690	401	6.015	1211	14.12
35	Udaipur	468	144	150	4.68	1.44	1.50	762	7.62	898	238	185	13.470	3.57	2.775	1321	19.815	3961	46.22
	Total	**44883**	**11880**	**9241**	**448.83**	**118.80**	**92.41**	**66004**	**660.04**	**22439**	**5940**	**4621**	**336.585**	**89.10**	**69.315**	**33000**	**495.000**	**99004**	**1155.04**

Note :- 17.83% for SC & 13.48% for ST farmers should be strictly achieved from the total allocation. At least 30% allocation of the fund is to be utilised for women farmers.